


अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस वन प्रभाग की विभिन्न रेन्जों को अर्न्तगत वर्ष 2016-17 वृक्षारोपण के फैंसिंग हेतु 25 मि0 टन गैल्वानाइज्ड आयरन कांटेदार तार साइज ए-6 की आवश्यकता है, जिसके लिए मोहर बन्द निविदायें रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर तथा स्वयं के द्वारा दिनांक 20.03.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन के 3.00 बजे अपरान्ह उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अर्धाहस्ताक्षरी या उनके द्वारा नामित अधिकारी खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक दिनांक 19.03.2017 तक निर्धारित शुल्क रू0 350.00 जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा सम्बन्धी जानकारी एवं शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

निविदा के नियम व शर्तें

1. निविदा के साथ बन्धक धनराशि बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर, पे-आर्डर, एफ0डी0आर0 जो प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात के पक्ष में निरूपित होना चाहिए और कानपुर देहात में भुगतान योग्य स्वीकार किया जायेगा।
2. निविदा के लिफाफे पर "कांटेदार तार के क्रय हेतु निविदा" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
3. दरें कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात (माती मुख्यालय) की रेन्ज कार्यालय तक मय लोडिंग- अनलोडिंग स्वीकार होगी।
4. नियमानुसार जमानत, आयकर, स्टाम्पकर आदि अलग से देय होगी।
5. दर्शायी गयी मात्रा घट-बढ़ सकती है।
6. विलम्ब से प्राप्त, बिना बन्धक धनराशि की प्राप्त या अधूरी निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. न्यायालय का क्षेत्र कानपुर देहात होगा।
9. सामान्यतः निविदा की न्यूनतम दरें ही स्वीकार की जायेगी।
10. भुगतान नियमानुसार आपूर्ति के उपरान्त किया जायेगा।
11. कार्य आदेश प्राप्त होने बाद एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति करनी होगी।


27. उपरोक्त आपूर्ति किये जाने वाले तार की "हाटडिप जिंक कोटिंग व गैल्वनाईजेशन सम्बन्धी एच0बी0टी0आई कानपुर की रिपोर्ट नमूने हेतु प्रस्तुत तार के साथ संलग्न करनी होगी ।
28. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
29. निविदा दाता को निविदा के साथ कांटेदार तार की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत राशि प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात के नाम एन0एस0सी0/एफ0डी0 के रूप में निरूपित (प्लेज) कराकर संलग्न करना अनिवार्य है ।
30. आपूर्ति आदेश के पश्चात माल सप्लाई में विलम्ब अथवा सामग्री की क्वालिटी एवं शर्तों में कमी करने पर जमानत धनराशि बिना नोटिस जब्त की जा सकती है ।


प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

पुश्तांकन सं० २७३८ /अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर ।
3. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद ।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात ।
9. नोटिस बोर्ड प्रधान कार्यालय, लेखा शाखा कार्यालय कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात ।
10. जिला सूचना अधिकारी कानपुर देहात को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निविदा का वृहत प्रचार अपने स्तर से कराने की कृपा करें ।
11. श्री मंगलेश्वर गुप्ता सहा0 स0अ0 विभागीय वेबसाइट में डालना सुनिश्चित करें ।
12. भण्डार प्रभारी एवं लेखा प्रभारी ।


प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात